सत्र परीक्षण सं० 1993/2009
सरकार बनाम विकास आदि
अ०धारा 147, 148, 149, 302, 307, 324, 504, भा०दं०सं०
थाना मुरादनगर जनपद-गाजियाबाद।

प्रार्थना पत्र अ० धारा 319 दं०प्र०सं० 44 ख का निस्तारण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियोजन की तरफ से इस आशय का दिया गया है कि प्रस्तुत मामले में बतौर अभियुक्त अर्न्तगत धारा 319 दं०प्र०सं० अनिल त्यागी पुत्र राजवीर, घनश्याम पुत्र मंगत व राजवीर पुत्र रामनिवास निवासीगण गाँव शहजादपुर थाना मुरादनगर तलब किये जाये।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार उपर्युक्त राजवीर व अनिल प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है किन्तु उन्हें बचाने हेतु उनकी साज से पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित नहीं किया गया। अभियोजन साक्षी सं० 1 गुडिया पुत्री सुरेन्द्र ने दिनांक 29.03.2012 को अपने सशपथ बयान में कहा गया है कि राजवीर ने बोला कि मार इस हरामजादी को गोली, यह भी उसी पार्टी की है, और अनिल ने तमंचे से उसके गोली मार दी। इसके अतिरिक्त भी इस गवाह ने अभियुक्तगण के नाम अपनी मुख्य परीक्षा बयान में बताये है। यह भी कहा है कि इस झगडे में राजवीर पुत्र रतिराम को गोली मारकर आये थे। अतः पत्रावली में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। उन्हें बतौर अभियुक्त तलब किया जाये।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना। विद्वान अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए उल्लेखित राजवीर, अनिल त्यागी व घनश्याम को बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का तर्क किया गया और कहा गया कि पी०डब्लू-1 गुडिया के बयान के आधार पर उन्हें तलब किया जाना न्यायोचित है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 319 दं०प्र०सं० में उपस्थित अभियुक्तगण की तरफ से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया। यह सही है कि प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 319 दं०प्र०सं० पर अभियोजन के अतिरिक्त अन्य किसी को सुनवायी का अधिकार नहीं है। अतः अभियोजक की तरफ से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया। यह सही है कि पी०डब्लू-1 गुडिया ने अपने सशपथ बयान में यह कथन किया है कि दिनांक 29.06.2009 को समय 5-6 बजे के बीच फौजदारी हुई थी, वह उस समय घर से बाल्टी लेकर घेर जा रही थी, सामने से राजवीर, अनिल, निर्भय, मनीष व घनश्याम आ रहे थे, घेर के पास आते ही राजवीर ने बोला कि मार हरामजादी के गोली, यह भी उसी पार्टी की है और अनिल ने उसे तमंचे से गोली मार दी, गोली लगते ही वह बेहोश हो गया और गिर पडी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उससे दरोगा जी ने तीन बार पूछ-ताछ की थी। उसने तीनों बार यही कहा था जो आज बता रही है। घटना के 2-3 दिन बाद पहली बार तथा उसके 5-6 दिन बाद अस्पताल में दूसरी बार पूछ-ताछ की थी। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि गुडिया का मात्र एक बार दिनांक 08.07.2009 को विवेचक द्वारा बयान अंकित किया गया है। इससे पूर्व दिनांक 30.06.2009 को विवेचक ने सर्वोदय अस्पताल गाजियाबाद में उसका बयान लेने का प्रयास किया था किन्तु वह बयान देने की स्थिति

में नहीं थी। अतः बयान अंकित नहीं हो सका।

प्रस्तुत मामले में राजवीर पुत्र रामनिवास व अनिल पुत्र राजवीर प्रथम सूचना रिपोटर् में नामित अभियुक्त थे किन्तु विवेचक द्वारा आरोप पत्र उन के विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया है तथा उनकी नामजदगी झूंठी बतायी गयी है। टयूब्वैल को लेकर विवाद रतिराम के लडके राजवीर व रामनिवास के लडके राजवीर के बीच होने पर फौजदारी हुई थी। राजवीर व अनिल से गुडिया ने प्लाट को लेकर अपना विवाद चलना कहा है। प्रस्तुत मामले की वादिनी पूनम पत्नी राजवीर सिंह है। वादिनी पी०डब्लू–2 के रूप में परीक्षित हुई है। उसने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पी०डब्लू–1 गुडिया ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा बयान में कहा है कि घटना वाले दिन वह अपने घेर में थी वही उसे शोर सुनायी दिया, लडाई खेत पर हुई थी वही से होती आ रही थी। घर्मेन्द्र, अशोक व राजपाल हाजिर अदालत मुल्जिम व अरिवन्द जो आज गैर हाजिर है ने उसे न तो गाली दी न उसे मारा, उसने इन्हें घटना स्थल पर नहीं देखा। उसने यह भी कहा कि हाजिर अदालत मुल्जिमान को भी उसने राजवीर की हत्या करते हुए नहीं देखा। उसने मनीष को राजवीर की हत्या करते हुए नहीं देखा ना ही मनीष ने उसके ऊपर गोली चलायी। इस प्रकार अपने मुख्य परीक्षा बयान में गुडिया ने घर से बाल्टी लेकर घेर में जाते समय अपने को राजवीर के उकसाने पर अनिल द्वारा तमंचे से गोली मारना कहा है तथा प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह अपने घर में थी राजवीर व अनिल से उसका प्लाट को लेकर अपना पृथक विवाद होना कहा है। प्रतीत होता है कि उसी विवाद को तुल देने के आशय से पीडित गुडिया ने राजवीर के उकसाने पर अनिल द्वारा अपने को तमंचे से गोली मारने की बात कही है तथा जिन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त न्यायालय प्रेषित किया गया उनके द्वारा मुख्य घटना कारित ना किया जाना कहा है। मामले में उपलब्ध अन्य साक्षी पी०डब्लू–3 विद्यादेवी जो मृतक राजवीर की माँ है ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र 44 ख स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 44 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक 25.01.2017 को पेश हो।

दिनांक 07.01.2017

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (एस सी/एस टी एक्ट)
गाजियाबाद।